

न्यायालय ए.सी.जे.एम./ए.सी.जे. (व.श्रे.) कक्ष संख्या-12, इलाहाबाद।

दिनांक:30.6.2018

आदेश

अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्म संस्वीकृति के आधार पर जुर्माना अधिरोपित किया गया। अभियुक्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड न जमा करने पर उसे तीन दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हों।

ए.सी.जे.एम./ए.सी.जे. व.श्रे.
कक्ष संख्या-12, इलाहाबाद।